"बिज़नेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 240] रायपुर, शनिवार, दिनांक 30 जुलाई 2011—श्रावण 8, शक 1933

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-4/22/सा.-आ. एवं जा. जनगणना/2011.—केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2011 में सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना सम्पन्न कराने का अभिनिश्चय किया गया है. यह सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग से सम्पन्न करायी जावेगी. इसके अनुसरण में छत्तीसगढ़ शासन एतदद्वारा घोषित करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में सामाजिक-आर्थिक एवं जाति गणना कार्य दो चरणों में कराया जाकर दिसम्बर 2011 तक पूर्ण कराया जावेगा.

सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 कार्य के तहत प्रथम चरण में प्रदेश के आठ जिला बस्तर, सरगुजा, जशपुर, जांजगीर-चांपा, कबीरधाम, कोरबा, महासमुंद एवं रायगढ़ में दिनांक 25 अगस्त, 2011 से 05 अक्टूबर, 2011 की अवधि में तथा शेष दस जिला उत्तर बस्तर कांकेर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरिया, रायपुर, दुर्ग एवं धमतरी में दिनांक 11 अक्टूबर, 2011 से 30 नवम्बर, 2011 की अवधि में सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवाशीष दास, सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2011

क्रमांक एफ 6-4/22/सा.-आ. एवं जा. जनगणना/2011.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-4/22/सा. आ. एवं जा. जनगणना/2011 दिनांक 30-07-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवाशीष दास, सचिव.

Raipur, the 30th July 2011

NOTIFICATION

No. F 6-4/22/SECC/2011.—The Central Government has decided to conduct the Socio Economic and Caste Census in the year 2011. The Socio Economic and Caste Census would be carried out by the respective State Government with the financial and technical support of the Government of India. In pursuance of this, the Government of Chhattisgarh declares that the Socio-economic and Caste Census in the state will be conducted in two phases and will be completed by December, 2011.

The first phase of Socio-Economic and Caste Census, 2011, will commence from 25th August, 2011 to 5th October, 2011, in following 08 districts-Bastar, Surguja, Jashpur, Janjgir-Champa, Kabirdham, Korba, Mahasamund and Raigarh, and the second phase will commence from 11th October, 2011 to 20th November, 2011 in remaining 10 districts—Kanker, Dantewada, Narayanpur, Bijapur, Rajnandgaon, Bilaspur, Koriya, Raipur, Durg and Dhamtari.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DEBASHISH DAS, Secretary.

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-4/22/सा.-आ. एवं जा. जनगणना/2011.—भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011 में सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना करने का निर्णय लिया गया है. सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना का कार्य राज्य शासन द्वारा भारत सरकार की वित्तीय एवम् तकनीकी सहायता से किया जाएगा. इसके अनुसरण में राज्य सरकार एतद्द्वारा सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना, 2011 को सम्पन्न कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के सीमा के भीतर सभी व्यक्तियों से निम्न प्रश्न पूछने के लिए प्रगणकों को निर्देश देता है :—

ग्रामीण :

प्रत्येक रहवासी (Household) के लिए :

भाग-1
आवासीय/निवासीय

(1) आवासीय मकान के दीवाल में उपयोग में लाए जाने वाले प्रमुख सामग्री (S) (कोड दर्शायें)

कोड

कालम -1 आवासीय मकान के दीवाल में उपयोग में लाये जाने वाले प्रमुख सामग्री
1 = घास/पैरी/बांस, आदि
2 = प्लास्टिक/पॉलिथीन
3 = मिट्टी/कच्चा ईंट
4 = लकड़ी
5 = पत्थर बिना गारा मिट्टी के
6 = गारा मिट्टी लगाया पत्थर
7 = टीना/लोहा/सीमेंट की चादर
8 = पक्की ईंट
9 = कांक्रीट
0 = अन्य कोई

(2) आवासीय मकान के छत निर्माण में प्रयोग में लाया गया प्रमुख सामग्री (कोड दर्शाये)

कालम—2 आवासीय मकान के छत में उपयोग में लाये जाने वाले प्रमुख सामग्री
1 = घास/पैरी/बांस, आदि 2 = प्लास्टिक/पॉलिथीन 3 = हाथ से निर्मित खपरे 4 = मशीन से निर्मित खपरे 5 = पक्की ईंट 6 = केवल पत्थर 7 = स्लेट 8 = टीना/लोहा/सीमेंट की चादर 9 = कांक्रीट 0 = अन्य कोई

(3) मकान का मालिकाना हक (कोड दर्शायें)
1 = स्वयं, 2 = किराये पर, 3 = अन्य कोई

(4) निवासरत मकान के कमरों की संख्या, जो पूर्ण अधिकार में है :
(अंकित करें 1,2,3.......)

भाग-2
मकान का अन्य कोई सदस्य :

(5) आदिम जनजाति वर्ग से है
1 = हां, 2 = नहीं

(6) वैधानिक रूप से छुड़ाया गया बंधुवा मजदूर
1 = हां, 2 = नहीं

(7) एक हाथ से मैला ढोने वाला कामगार
1 = हां, 2 = नहीं

भाग-3
रोजगार एवं आय का वर्गीकरण

(8) नियमित वेतन पाने वाला कोई परिवार का सदस्य (1 = हां, 2 = नहीं)

(9) यदि हां तो कालम-8 में वेतन का कोड दिया गया है (कोड दर्शायें)
1 = सरकारी, 2 = सार्वजनिक संगठन, 3 = निजी संगठन

(10) आयकर या वृत्ति कर दाता है (1 = हां, 2 = नहीं).

(11) स्वयं की/संचालित ऐसी संस्था जो शासन द्वारा पंजीकृत हैं (1 = हां, 2 = नहीं)

(12) परिवार के सबसे अधिक कमाने वाले सदस्य का मासिक आय
1 = 5000 से कम, 2 = 5000 से 10,000 के बीच, 3 = 10,000 या अधिक

(13) परिवार के आय का मुख्य स्रोत (कोड दर्शायें)
1 खेती किसानी
2 दैनिक मजदूरी
3 आंशिक या पूर्णकालिक घरेलू कार्य
4 कूड़ा/कचरा उठाना
5 = गैर कृषि स्वयं का वित्तीय संस्थान
6 - भिक्षा मांगना/परोपकार/दान प्राप्त करना
7 अन्य

भाग-4
सम्पत्तियां

क्या परिवार निम्नलिखित संपत्ति धारित करता है :
(कोड में दर्शायें) :

(14) रेफ्रिजरेटर (1 = हां, 2 = नहीं)

(15) टेलीफोन/मोबाइल फोन
हां : 1 = केवल लैण्डलाईन, 2 = केवल मोबाइल, 3 = दोनों, 4 = नहीं

(16) मोटरचलित दो/तीन/चार पहिया वाहन या मोटरचलित मछली पकड़ने वाला नाव, जिसके लिए पंजीयन आवश्यक है
(1 = हां, 2 = नहीं)

धारा-5

5 A स्वामित्व की भूमि

(17) (Homestead भूमि को छोड़कर) अन्य कोई स्वामित्व की भूमि (1 = हां, 2 = नहीं) यदि भूमिहीन हो तो भाग 5 B में जायें

(18) कुल असिंचित भूमि (एकड़ में)

(19) दो फसल के लिए निश्चित सिंचाई वाली भूमि (एकड़ में)

(20) अन्य सिंचित भूमि (एकड़ में)

5 B स्वामित्व वाली अन्य अस्तियाँ :

(21) मशीनीकृत तीन/चार पहियों वाली मशीनीकृत कृषि उपकरण (1 = हां, 2 = नहीं)

(22) सिंचाई उपकरण (डीजल/केरोसीन/विद्युत सिंचाई पंप, स्प्रिंकलर/ड्रिप सिंचाई उपकरण, आदि) (1 = हां, 2 - नहीं)

(23) 50,000 या उससे अधिक लिमिट का किसान क्रेडिट कार्ड (1 = हां, 2 = नहीं)

प्रत्येक व्यक्ति के लिए

(1) सरल क्रमांक

(2) व्यक्ति का नाम
परिवार के मुखिया से प्रारंभ करें

(3) मुखिया से संबंध
(संबंध को पूर्ण रूप से दर्ज करें)

(4) लिंग
(1 = पुरुष, 2 = स्त्री)

(5) जन्मतिथि
(अंग्रेजी कैलेण्डर अनुसार)

(6) वैवाहिक स्थिति
1 = विवाह कभी नहीं हुआ (कुंवारा)
2 = हाल ही में विवाहित
3 = विधवा/विधुर
4 = अलग रहते हैं
5 = तलाकशुदा

(7) पिता का नाम

(8) माता का नाम

(9) व्यवसाय/गतिविधि
वास्तविक कार्य का वर्णन करें

(10) प्राप्त उच्चतम् शिक्षा
1 = निरक्षर
2 = साक्षर लेकिन प्राथमिक से कम
3 = प्राथमिक
4 = पूर्व माध्यमिक
5 = माध्यमिक
6 = उच्चतर माध्यमिक
7 = स्नातक या उच्चतर
8 = अन्य (निर्दिष्ट करें)

(11) नि:शक्तता
1 = देखने में
2 = सुनने में
3 = बोलने में
4 = चलने म
5 = मानसिक नि:शक्तता
6 = मानसिक बिमारी
7 = अन्य नि:शक्तता
8 = बहु नि:शक्तता
9 = कोइ नि:शक्तता नहीं

(12) धर्म
(पूर्ण रूप से धर्म का नाम लिखें)

(13) जाति/जनजाति की स्थिति
(कोड दर्शायें)
अनुसूचित जाति (SC)-1
अनुसूचित जनजाति (ST)-2
अन्य-3

कोई जाति/जनजाति नहीं 4
(अनुसूचित जाति हिन्दुओं, सिखों और बौद्धों धर्म से ही हो सकते हैं अनुसूचित जनजाति किसी भी धर्म से हो सकते हैं)

(14) यदि कालम 13 में कोड 1, 2, 3 है तो
जाति/जनजाति का नाम लिखें,
यदि कालम 13 में कोड 4 है तो 'X' का चिन्ह दर्शायें

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देबाशीष दास, सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2011

क्रमांक एफ 6-4/22/सा.-आ. एवं जा. जनगणना/2011.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-4/22/सा.-आ. एवं जा. जनगणना/2011 दिनांक 30-07-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देबाशीष दास, सचिव.

Raipur, the 30th July 2011

NOTIFICATION

No. F 6-4/22/SECC/2011.—The Central Government has decided to conduct the Socio Economic and Caste Census in the year 2011. The Socio Economic and Caste Census would be carried out by the respective State Government with the financial and technical support of the Government of India. The State Government in pursuance of this hereby instructs and directs that the Enumerators may ask the following questions of all persons within the limit of the local area for which he/she is appointed for collecting information in connection with the conduct of Socio-economic and Caste Census! 2011.

Rural :

For each household :

Section-1

Housing/Dwelling

(1) Predominant material of wall of the dwelling room (s) (Give code)

Codes

Col. 1 Predominant material of wall of dwelling room
1 = Grass/thatch/bamboo etc. 2 = Plastic/polythene 3 = Mud/unburnt brick 4 = Wood 5 = Stone not packed with mortar 6 = Stone packed with mortar 7 = G.I./metal/asbestos sheets 8 = Burnt brick 9 = Concrete 0 = Any other

(2) Predominant material of roof of the dwelling room (s) (Give code)

Col. 2 Predominant material of Roof of dwelling room
1 = Crass/thatch/bamboo/wood/mud etc. 2 = Plastic/polythene 3 = Hand made tiles 4 = Machine made tile 5 = Burnt brick 6 = Stone 7 = Slate 8 = G.I./metal/asbestos sheets 9 = Concrete 0 = Any other

(3) Ownership status of this house (Give code)
1 = Owned, 2 = Rented, 3 = Any other

(4) Number of dwelling rooms exclusively in possession of this household (Record 1,2,3.......)

Section-2
Is any household member :

(5) from Primitive Tribal Group :
1 = Yes, 2 = No

(6) a legally released bonded labour :
1 = Yes, 2 = No

(7) a manual scavanger :
1 = Yes, 2 = No

Section-3
Employment and Income Characteristics

(8) Does any Household Member have a salaried job ? (1 = Yes, 2 = No)

(9) If 'Yes' in Col. 8, Salaried job is in (give code)
1 = Government, 2 = Public sector, 3 = Private sector

(10) Pay income tax or professional tax (1 = Yes, 2 = No)

(11) Own/operate an enterprise which is registered with the Government
(1 = Yes, 2 = No)

(12) Monthly income of highest earning household member (give code)
1 = less than Rs. 5000, 2 = between Rs. 5,000 and Rs. 10,000, 3 = Rs. 10,000 or more

(13) Main source of household income from (Give code)
1 = Cultivation
2 = Manual casual labour
3 = Part-time or full-time domestic service
4 = Foraging, rag picking
5 = Non-agricultural Own Account Enterprise
6 = Begging/Charity/Alms collection
7 = Others

Section-4
Assests
Does the household own the following assets (Give code)

(14) Refrigerator (1 = Yes, 2 = No)

(15) Telephone/Mobile phone
Yes : 1 = Landline only, 2 = Mobile only, 3 = Both, 4 = No

(16) Motorized Two/Three/Four Wheelers or Motorized Fishing Boat requiring registration (1 = Yes, 2 = No)

Section-5
5 A Land owned

(17) Own any land (excluding homestead) ? (1 = Yes, 2 = No)
if landless, skip to Section-5B
(18) Total un-irrigated land (in acres)

(19) With assured irrigation for two crops (in acres)

(20) Other irrigated land (in acres)

5 B Other assests owned

(21) Mechanized Three/Four Wheeler Agricultural equipment (1 = Yes, 2 = No)

(22) Irrigation equipment (including diesel/kerosene/electric pumpset sprinkler/drip irrigation system, etc.)
(1 = Yes, 2 = No)

(23) Kisan Credit Card with credit limit of Rs. 50,000 or above (1 = Yes, 2 = No)

For each person :

(1) Sr. No.

(2) Name of the person
Start with the head of the household

(3) Relationship to head
(record the relationship in full)

(4) Sex
1 = Male
2 = Female

(5) Date of birth
(as per English Calendar)

(6) Marital Status
1 = Never married
2 = Currently married
3 = Widowed
4 = Separated
5 = Divorced

(7) Name of father

(8) Name of mother

(9) Occupation/Activity
Describe the actual work

(10) Highest educational level completed
1 = Illiterate
2 = Literate but below primary
3 = Primary
4 = Middle
5 = Secondary
6 = Higher secondary
7 = Graduate or higher
8 = Other (Specify)

(11) Disability
1 = In Seeing
2 = In Hearing
3 = In Speech
4 = In Movement
5 = Mental Retardation
6 = Mental Illness
7 = Other disability
8 = Multiple disability
9 = Not disabled

(12) Religion
(Write name of the religion in full)

(13) Caste/Tribe Status
Give Code
Scheduled Caste (SC)-1
Scheduled Tribe (ST)-2
Other-3
No Caste/Tribe-4
(SC can be only among the Hindus, Sikhs and Buddhists,
ST can be from any religion)

(14) If code 1, 2 or 3 in Col. 13
Write Name of Caste/Tribe
If code 4 in Col. 13, put 'X'

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
DEBASHISH DAS, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.